7/391 2024 192

DR - Affiliation

संख्या– सम्ब0–358 / सत्तर–2–2012–2(358) / 2012

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झांसी।

Affilation Department
Received On ..05..10..2012

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ: दिनांक 11 सितम्बर, 2012

विषयः–महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–बु0वि0 / सम्ब0 / 2012 / 2349–50, दिनांक 18–07–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन ऊँ हरिहर महाविद्यालय, कुण्डौरा, हमीरपुर को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0( हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राज0शास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान एवं भूगोल) तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) पाठ्यक्रम / विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1–7–2012 से तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) संस्थान / महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(3) संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

( सुबोध कुमार श्रीवास्तव )
अनुसचिव।

संख्या– सम्ब0– 358 (1)/सत्तर–2–2012, तद्दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
3– सचिव/प्रबन्धक, ऊँ हरिहर महाविद्यालय, कुण्डौरा, हमीरपुर।
4– अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
5– वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
6– निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनीता सिंह)।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सुबोध कुमार श्रीवास्तव )
अनु सचिव।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2012/ 2579 — 87 दिनांक :- 15-10-12

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंधक ऊ हरिहर महाविद्यालय, कुण्डौरा, हमीरपुर।
2. समाजकल्याण अधिकारी हमीरपुर
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. सहा0कुलसचिव(परीक्षा/गो0)।
5. श्री दीपक तोमर ई0 गवर्नेन्स अधिकारी।
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
7. कुलसचिव के आशुलिपिक।
8. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक मे प्रस्तुत करें।

(अखिलेश कुमार पाल)
उपकुलसचिव

न्यायालय उपजिलाधिकारी, हमीरपुर

वाद संख्या 04 सन् 2010 धारा 143 ज0 वि0 अधि0

मौजा – कुण्डौरा परगना सुमेरपुर तहसील व जनपद हमीरपुर

हरिहर सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक शिवप्रकाश सिंह बनाम उ0 प्र0 सरकार

आदेश दि0 17-4-2010

प्रस्तुत वाद वादी ऊँ हरिहर सेवा संस्थान ग्राम दरियापुर द्वारा प्रबन्धक श्री शिवप्रकाश सिंह पुत्र मुन्नी सिंह निवासी ग्राम दरियापुर द्वारा मौजा कुण्डौरा के गाटा संख्या 356 रकबा 1-805 हे0 भूमि की लगान 18-70 रुपये समाप्त कर अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की जांच तहसीलदार हमीरपुर से कराई गई। तहसीलदार ने मय तहसीलदार की आख्या दिनांक 6-4-2010 संस्तुति सहित दिनांक 7-4-2010 को प्रेषित की गई है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार हमीरपुर की जांच आख्या का सम्यक परीक्षण किया। तहसीलदार हमीरपुर द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 135 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर आख्या अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गई है। वादग्रस्त भूमि ऊँ हरिहर सेवा संस्थान ग्राम दरियापुर द्वारा प्रबन्धक शिवप्रकाश सिंह पुत्र मुन्नी सिंह निवासी दरियापुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है जिसमें विद्यालय भवन निर्माण हेतु अकृषिक किये जाने में विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार की आख्या विधिसंगत प्रतीत होती है। अतः मौजा कुण्डौरा के गाटा संख्या 356 रकबा 1-805 हे0 भूमि विद्यालय के भवन के प्रयोजन हेतु मालगुजारी 18-70 रुपये समाप्त की जाती है तहसीलदार हमीरपुर की आख्या दिनांक 7-4-2010 की पुष्टि की जाती है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 17-4-2010

ह0 अपठनीय
(ओ0 पी0 सिंह)
उपजिलाधिकारी
हमीरपुर 17.4.10

आज यह आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित तथा उद्घोषित किया गया।

दिनांक 17-4-2010

ह0 अपठनीय
(ओ0 पी0 सिंह)
उपजिलाधिकारी
हमीरपुर।
17.4.10

136

सत्य प्रतिलिपि
ह0 23/4/10
उप जिलाधिकारी
हमीरपुर

Manager
Om Harihar Mahavidyalaya
Kundaura (Hamirpur) U.P.

Form No 29
( Rule 327 )

# Certifica to of Search

Certificate No. 184 of 2015
Application No. 171 of 2015
Sri ..राममनोहर सिंह ... हमीरपुर...................... having applied to may any in respect of under mantioned property,
Owner of the property ॐ हरिहर सेवा संस्थान द्वारा प्रबंधक शिवप्रकाश सिंह पुत्र मुन्नी सिंह [illegible]
Discription of the property परगना सुमेरपुर तह० जिला हमीरपुर
मौजा – कुण्डौरा [illegible] जिला हमीरपुर

खाता नं० – गाटा नं. – रकबा
30 356 – 1.805 हे. चौहद्दी पू० – खेत [illegible]
689 – 0.282 हे. प० – नाली
2 2.087 हे. उ० खेत [illegible]
द० – चक मार्ग

I here by certify that a search has been made in book land in the mdex mlating there to from the year .....2004........ ....... to the year 2015......... properly and the on such search that following tects and encumbram as appem.

| Sl No. | (A) Discription of property as given in the document | Date of executioh | N ture & value of document | Name of executant | Parties clatments | References documents any year No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
| उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर कोई भार नहीं पाया गया | | | | | | |

I also certify that same aforesaid act. and encumbranuce no other act and encumoraUce reffecting the said property have been found.

Search made and Certificate prepared by

Signature
Dosignation

Seal

Date 27.6.15

Search veryfied and Certificate Examined by
Signature
Designation
Signature of Registried Officer
उप निबन्धक
हमीरपुर

Note : 1. The act and oncun brance shown in the certificate are theso with rofrance to the description of Properties if the same propeties have been disoreb-ed in rcuestered documents is a manner differend from the way in which the applicant has described then transection endoced by such decuments will not be enclude on the Certificates.
2. The requst such has been made as cerefully as possible by the office but the depertment in the result of the such embodied this certificete.
3. This certificate does not enclude documents if any which have been presented but have not been rogistered optudate.

★ Sulekha Press Hamirpur ★

ATTESTED
NOTARY HAMIRPUR
22/10/12

Manager
Om Harihar Mahavidyalaya
Kundaura (Hamirpur) U.P.

# बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :– बु0वि0 / सम्ब0 / 2016 / 1667 दिनांक :– 24/2/ /2016

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव,
ऊँ हरिहर महाविद्यालय,
कुण्डौरा, हमीरपुर।

विषयः– ऊँ हरिहर महाविद्यालय, कुण्डौरा, हमीरपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान एवं भूगोल) तथा विज्ञान संकाय में बी0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) विषयों / पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2016 से सशर्त सम्बद्वता की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब0–1146 / सत्तर–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के अधीन **ऊँ हरिहर महाविद्यालय, कुण्डौरा, हमीरपुर** को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान एवं भूगोल) तथा विज्ञान संकाय में बी0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) विषयों / पाठ्यक्रमों में सम्बद्वता की पूर्वानुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 14.02.2016 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्वता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल की आख्या दिनांक 09.06.2015 में की गई संस्तुति का परीक्षण किया गया।

परीक्षणोपरान्त सम्बद्वता समिति की संस्तुति के आधार पर तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15.02.2016 के अनुमोदनोपरान्त माननीय कुलपति जी ने उक्त महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान एवं भूगोल) तथा विज्ञान संकाय में बी0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) विषयों / पाठ्यक्रमों में **दिनांक 01.07.2016 से** सम्बद्वता की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है :–

1. महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्वता की शर्तें पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी को प्रतिवर्ष अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
3. महाविद्यालय अद्यतन तिथि का अग्निशमन प्रमाण पत्र, एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण, अनुबन्ध पत्र, बैंक खाता स0 एवं नियुक्ति पत्र का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष द्वारा इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तद्नुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कुलसचिव कार्यालय को प्राप्त करायेगा।
5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। रिट याचिका स0 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।
6. महाविद्यालय को सम्बद्वता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्वता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्वता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।
7. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के विहित प्राविधानों के अर्न्तगत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(व्यास नारायण सिंह)
कुलसचिव

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. समाजकल्याण अधिकारी, हमीरपुर।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
6. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कॉलेज लॉगइन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. कुलसचिव के आशुलिपिक।

कुलसचिव